तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/2/2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते करते हुए कथन किया था कि वादी का जन्म का नाम नत्थूराम था जिसकी बाबत वादी ने समाचार पत्र 12.10.1996 में सूचना प्रकाशित करवाकर अपना नाम संजय कुमार सिर्वा कर लिया। इस प्रकार वादी का नाम नत्थूराम से संजय कुमार सिर्वा हो गया। परन्तु पैतृक भूमि में पिता की मृत्यु होने पर राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का गलत नाम नत्थूराम पुत्र नामचन्द दर्ज किया गया। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का सही नाम संजय कुमार सिर्वा पुत्र नामचन्द वादग्रस्त आराजी में दर्ज किया जावें। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं वादी का एवं अपनी माता रामा देवी व भाई रामकिशन का लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र व दैनिक नवज्योति समाचार पत्र 12.10.1995, मार्कशीट, ड्राईविंग लाईसेंस, राशनकार्ड, जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रतियां पेश की। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम नत्थूराम पुत्र नामचन्द अंकित है। वादी का कथन कि वादी का नाम का सही नाम संजय कुमार सिर्वा पुत्र नामचन्द है की पुष्टि दैनिक नवज्योति समाचार पत्र 12.10.1995, मार्कशीट, ड्राईविंग लाईसेंस, राशनकार्ड, जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड से होती है तथा स्वयं वादी का एवं अपनी माता रामा देवी व भाई रा[illegible] के लि[illegible] तस्दीक शुदा शपथ पत्र से भी इस तथ्य की पु[illegible] इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्ता[illegible] है। Signature Not Verified Digitally signed by Brejesh Kumar Date: 2021.02.27 20:07:03 IST Reason: SelfAttested (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... नीमकाथाना

.... बनाम .... संजय कुमार

किस्म मुकदमा .... नं. .... भूमिधारी .... सन् ....

वाद पत्र घोषणा 88 RTA

~~प्रार्थना पत्र 108 एल. आर. एक्ट~~ 108 / 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	आदेश उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम कुंवारा पटवार हल्का नाथा की नांगल स्थित भूमि खसरा नंबर 22 रकवा 1.16 है0 में दर्ज खातेदार नत्थूराम पुत्र मामचन्द के स्थान पर संजय कुमार सिर्वा पुत्र मामचन्द दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (ब्रजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:07:03 IST
Reason: SelfAttested